


पी.ए.टी. प्रवेश परीक्षा नियम

बी.एस.सी. (उद्यानिकी) आनर्स / बी.एस.सी. (वानिकी) आनर्स पाठ्यक्रम

प्रवेश नियम



महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,
सांकरा पाटन दुर्ग (छ.ग.)

lan

कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

पी. ए.टी. प्रवेश परीक्षा नियम

बी.एस.सी. (उद्यानिकी) आनर्स / बी.एस.सी (वानिकी) आनर्स पाठ्यक्रम

प्रवेश नियम

महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा पाटन दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत संघटक / सम्बद्धता प्राप्त उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालयों में स्नातक- स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम-

1. सामान्य

ये नियम पी.ए.टी. परीक्षा प्रवेश नियम कहलायेंगे जो छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के द्वारा जारी किये गये हैं।
ये प्रवेश नियम बी.एस.सी. (उद्यानिकी) आनर्स/एवं बी.एस.सी (वानिकी) आनर्स स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होंगे।

2. स्नातक पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं महाविद्यालय का नाम

2.1 पाठ्यक्रम - बी.एस.सी.(उद्यानिकी) आनर्स एवं बी.एस.सी. (वानिकी) आनर्स अवधि 4 वर्ष

2.1.1.1. महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा पाटन दुर्ग (छत्तीसगढ़) के संघटक उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय -

1. पं. किशोरी लाल शुक्ला उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जी.ई.रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441
2. क्रांतिकारी डेवरीधुर उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर (छत्तीसगढ़) 494001
3. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र अर्जुन्दा, बालोद (छत्तीसगढ़)
4. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र धमतरी, (छत्तीसगढ़)
5. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र साजा, बेमेतरा (छत्तीसगढ़)
6. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र जशपुर (छत्तीसगढ़)
7. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र सांकरा, पाटन, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
8. महंत बिसाहू दास उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, गोरेला पेंड्रा मरवाही (छत्तीसगढ़)
9. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कोतवा जशपुर (छत्तीसगढ़)
10. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, सीतापुर सरगुजा (छत्तीसगढ़)
11. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, चिरमिरी कोरिया (छत्तीसगढ़)
12. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र रामानुजगंज बलरामपुर (छत्तीसगढ़)
13. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र चपका बस्तर (छत्तीसगढ़)
14. उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र हथनी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
15. वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र सांकरा, पाटन, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
16. उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र सिलफिली, जिला- सूरजपुर (छत्तीसगढ़)
17. उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
18. कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुनकुरी, जिला- जशपुर (छत्तीसगढ़)
19. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, पचावल, विकासखंड रामचन्द्रपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

2.1.2 महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, पाटन, दुर्ग (छत्तीसगढ़) से सम्बद्धता प्राप्त (निजी) उद्यानिकी महाविद्यालय:-

1. दन्तेश्वरी उद्यानिकी महाविद्यालय, मनोपचार हास्पिटल के पास, माना बस्ती, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.) 492016
2. रानी दुर्गावती उद्यानिकी महाविद्यालय.ग्राम-मेढुका(लालपुर), पो0 दर्री, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, (छत्तीसगढ़) 495111
3. गायत्री उद्यानिकी महाविद्यालय, गोकुलपुर, रूद्री रोड, धमतरी (छत्तीसगढ़) 493775
4. के.एल. उद्यानिकी महाविद्यालय, गुण्डरदेही रोड, पोटियाडीह, धमतरी (छत्तीसगढ़) 493773

उपरोक्त उल्लेखित महाविद्यालयों में महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा पाटन दुर्ग (छत्तीसगढ़) के द्वारा सीटों का निर्धारण किया जावेगा।

3. स्नातक पाठ्यक्रम में पी. ए.टी. के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता निम्नानुसार है:

3.1 भारत का नागरिक हो।

3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़ कर) श्रेणी में केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र होंगे।

कुलसचिव

महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमश.....2

- 3.3 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 की 12वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा में 10+2 की 12वीं कक्षा में निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण की हो:-

(अ) विज्ञान समूह

- (i) भौतिक, रसायन एवं गणित
अथवा
(ii) भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान
अथवा

(ब) कृषि समूह

- (i) कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित
(ii) फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र,
(iii) पशुपालन एवं कुक्कुट पालन

उपर्युक्त 10+2 की 12 वीं कक्षा में चुने गए विषयों के समूह जैसे – विज्ञान समूह, गणित समूह एवं कृषि समूह पर ही प्रश्न-पत्र दिया जायेगा। 12वीं परीक्षा में चुने गए विषयों के अलावा अन्य विषयों के प्रश्न-पत्र के उत्तर प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा। उदाहनार्थ यदि 12 वी कक्षा के विज्ञान समूह का छात्र गणित या अन्य समूह का प्रश्न-पत्र प्रस्तुत करता है तो अमान्य होगा।

- 3.4 इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board for Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 10+2 की 12वीं कक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 वर्ष पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board for Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 10+2 की 12वीं कक्षा की मूल अंकसूची प्रस्तुत करेंगे।

- 3.4.1 ऐसे आवेदक जो मुख्य अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा (पूरक) में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पी.ए.टी. की प्रावीण्य सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो।
3.4.2 किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational Course) 10+2 सर्टिफिकेट परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी.एस-सी. (उद्यानिकी) आनर्स/ बी.एस-सी.(वानिकी) आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होंगे।

3.5 न्यूनतम अंक सीमा -

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पी.ए.टी. में न्यूनतम अंक सीमा का बंधन नहीं है। किन्तु प्रवेश हेतु 10+2 की 12वीं कक्षा के विज्ञान समूह भौतिक, रसायन एवं गणित अथवा भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान) अथवा कृषि समूह (कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र एवं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन) विषयों में सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के छात्रों ने न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको में उत्तीर्ण की हो।

- 3.6 इन पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी पी.ए.टी. की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश दिया जावेगा। काउंसिलिंग समिति बिन्दु क्रमांक 3.1 से 3.5 में उल्लेखित नियमों का प्रवेश के समय पालन सुनिश्चित करेगी।

4. स्नातक पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता निम्नानुसार है:

पी.ए.टी. द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों की जिन्होंने निर्धारित समय में ऑनलाइन काउन्सिलिंग आवेदन फॉर्म भरा है उनकी सूची समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि कोई सीट रिक्त रहती है। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालय शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों की रिक्त संख्या दर्शाते हुये भरने हेतु अलग से विज्ञापन जारी किया जावेगा। इस सीटों को उस पर प्रवेश उम्मीदवारों को निम्न क्रमानुसार दिया जावेगा:

क्रमश.....3

- 4.1 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिन्होंने पी.ए.टी. की परीक्षा दी हैं, परन्तु निर्धारित समय में प्रथम काउन्सलिंग के समय ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु आवेदन नहीं कर पाए थे तथा बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार योग्यता रखते हैं वे प्रवेश हेतु योग्य होंगे।
- 4.2 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिन्होंने पी.ए.टी. की परीक्षा नहीं दी परन्तु 12वी. उत्तीर्ण की हो तथा बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार योग्यता रखते हैं वे प्रवेश हेतु योग्य होंगे। ऐसे अभियार्थियों को 12वीं कक्षा के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- 4.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभियार्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में अन्य राज्य के 12वी. उत्तीर्ण अभियार्थियों को 12वीं कक्षा के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों हेतु संबंधित राज्य द्वारा आयोजित (बोर्ड) 10+2 की (3.3 में वर्णित विषयों के साथ) परीक्षा मान्य होगी। परन्तु उन्हें बिंदु क्रमांक (3.4 और 3.5) के अनुसार योग्यता रखते हैं वे प्रवेश हेतु योग्य होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़ कर) श्रेणी में केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र होंगे।
12वीं में समान प्रतिशत पाने वाले अभियार्थी की प्रवीण्यता
12वीं के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश देते समय 12वीं के कुल प्राप्तांको के सामान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभियार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। उम्र भी सामान होने की स्थिति में 10वीं के कुल प्राप्तांको के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
5. विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में प्रबंधन कोटे की सीटों पर प्रवेश
- 5.1 महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, पाटन, दुर्ग (छत्तीसगढ़) से मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों के बी.एस-सी. (उद्यानिकी) आनर्स एवं बी.एस-सी. (वानिकी) आनर्स पाठ्यक्रम में अधिकतम 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन कोटा के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रहेगी।
- 5.2 प्रबंधन कोटा में संस्था द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता/पात्रता के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा।
- 5.3 प्रबंधन कोटे पर प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी बिन्दु क्रमांक 3 अथवा 4 की पूर्ति करता है तो ही वह प्रबंधन कोटे की सीट पर प्रवेश हेतु योग्य होगा।
- 5.4 प्रबंधन कोटा की सीटों पर प्रवेश हेतु सीट आबंटन की प्रक्रिया का दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा काउन्सलिंग प्रक्रिया के पूर्व अलग से जारी किया जावेगा। सीट आबंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया इन्ही दिशा निर्देशों द्वारा पूर्ण की जावेगी।
6. संचालनालय, कृषि विभाग/उद्यानिकी/ वानिकी के विभागीय उम्मीदवारों को प्रवेश
छत्तीसगढ़ के संचालनालय कृषि विभाग के कर्मचारियों को भी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.ए.टी. के माध्यम से मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जायेगा, यदि वे प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं, इस प्रकार 10 सीटों पर केवल विश्वविद्यालय के संघटक (शासकीय) महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा।
7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा(AIEEA -UG) के आधार पर प्रवेश
महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, पाटन, दुर्ग (छत्तीसगढ़) से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों (ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त) में 15 प्रतिशत स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।
8. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि
प्रवेश के लिए प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। व्यावसायिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थी के प्राप्तांको के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जावेगी तथा इन प्रावीण्य सूचीयों की प्रति व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जावेगी।



कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमश.....4

- 8.1 आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा।
- 8.2 यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जायेगी।

9. पी.ए.टी. में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता

पी.ए.टी. में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस हेतु पी.ए.टी. के पाठ्यक्रम के लिये विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांको को आधार मानकर निश्चित की जायेगी:-

(अ) कृषि समूह

- (i) कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित
- (ii) फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र,
- (iii) पशुपालन एवं कुक्कुट पालन

अथवा

(ब) विज्ञान समूह

- (i) भौतिक, रसायन एवं गणित अथवा (ii) भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान

उक्त समूहों के तीनों विषयों में भी समान कुलांक होने पर (अ) के छात्रों को (ब) की अपेक्षा प्राथमिकता दी जावेगी। उक्त में भी समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों में प्राथमिकता अधिक उम्र वाले विद्यार्थी को दी जायेगी। यदि उपरोक्त के अनुसार उम्र भी समान होगी तब 12 वीं के प्रतिशत के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

10. सीटों का आरक्षण

महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, पाटन, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के संघटक एवं मान्यता प्राप्त निजी बी.एस.सी. (उद्यानिकी) आनर्स एवं बी.एस.सी. (वानिकी) आनर्स महाविद्यालयों में निम्नानुसार सीटों पर आरक्षण उपलब्ध होगा

- 10.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवासी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के पुत्रों/पुत्रियों के लिये समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम लागू होगा। पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर वाले अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 10.2 ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (प्रारूप 1 एवं 2)
- 10.3 कृषक सभी आरक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण लागू होगा लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मेरिट में आता है लेकिन किन्हीं कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उसे कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तथापि उसकी मेरिट, जिस वर्ग/संवर्ग का वह अभ्यर्थी है, उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुने। कृषक प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा (प्रारूप-3)। कृषक उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार कन्वर्ट की जावेगी।



क्रमश.....5

कुलसचिव

महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

10.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों /पौत्र/ पौत्रियों के लिए 03 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। इसके लिये छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है। इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हो, तो इन्हे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-4)। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार कन्वर्ट की जावेगी।

10.5 महिला

सभी श्रेणी के अंतर्गत (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी) महिला उम्मीदवारों के लिये 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार कन्वर्ट की जावेगी।

10.6 जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग/निवासियो हेतु

जम्मू कश्मीर से विस्थापित एवं गैर विस्थापित कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दु परिवार के लिये बी.एस.सी. (उद्यानिकी) आनर्स एवं बी.एस.सी. (वानिकी) आनर्स में 1 अतिरिक्त सीट आरक्षित रहेगी। विस्थापित परिवार के अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान के अनुभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-5)। कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दु परिवार के व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में ही निवास करते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर के संबंधित जिले के अनुभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-6)। उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर यह सीटें रिक्त रहेगी अर्थात् किसी अन्य श्रेणी से नहीं भरी जावेगी।

10.7 दिव्यांग (PH) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

दिव्यांग (PH) उम्मीदवारों हेतु कृषि, वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालयों में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेगी। दिव्यांग उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार कन्वर्ट की जावेगी। इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को जिला चिकित्सा मंडल तथा अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांग हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (नमूना क्र.1)

10.8 कमजोर जनजातियों के लिए आरक्षण

महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, पाटन, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालयों में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु निर्धारित आरक्षण के अंतर्गत ही 2 प्रतिशत तक सीट कमजोर जनजातियों (अबुझमाडिया, कुमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, बैगा, पंडो, भुजिया) के लिये आरक्षित रहेगी। इस संवर्ग के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार संवर्ग एवं अन्य श्रेणी में कन्वर्ट कर भरे जायेगें।

10.9 नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्तियों के पुत्र-पुत्रियों के लिए आरक्षण

महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, पाटन, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के आश्रित पुत्र/पुत्रियों के लिये एक अतिरिक्त सीट उपलब्ध रहेगी। इस वर्ग में प्रवेश लेने हेतु जिलाध्यक्ष/पुलिस अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रारूप-7) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर यह सीटें रिक्त रहेगी किसी अन्य श्रेणी से नहीं भरी जावेगी।

क्रमश.....6

कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

- i) यदि पी.ए.टी. में कोई योग्य प्रवेशार्थी नहीं मिलने की अवस्था में प्रवेश बिंदु क्र. 8 में उल्लेखित योग्यताओं के अनुसार दिया जायेगा।
- ii) इस वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यह अवाश्यक होगा कि वे जिला स्तरीय जिला अध्यक्ष/पुलिस अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लावेंगे कि वे नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ती के आश्रित पुत्र/पुत्री हैं. (प्रारूप 7)

10.10 भूतपूर्व कार्मिक

महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, पाटन, दुर्ग के अन्तर्गत संचालित प्रत्येक महाविद्यालयों में भूतपूर्व कार्मिकों के संतानों /व्यक्तियों के लिये स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 02 प्रतिशत सीट horizontal आरक्षित किया गया है। इस वर्ग में मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश दिया जावेगा। इस वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय कमांडिंग आफिसर/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे थल सेना/वायु सेना/नौ सेना के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक और वह प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ या सेवारत होने का प्रमाण-पत्र (प्रारूप-8) मेप्रस्तुत करेंगे। उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार कन्वर्ट की जावेगी।
टिप्पणी: समस्त आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश नियम में उल्लेखित न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता आवश्यक होगी।

10.11 स्वपोषित सीट

बी.एस-सी. (उद्यानिकी) आनर्स/ बी.एस-सी. (वानिकी) आनर्स पाठ्यक्रम में महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, पाटन, दुर्ग के अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में सभी अनारक्षित एवं आरक्षित वर्गों में स्वपोषित सीटों का प्रावधान किया गया है। इन सीटों में पी.ए.टी प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता एवं योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा। स्वपोषि सीटों की संख्या एवं शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण/परिवर्तन विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद एवं प्रबंध मण्डल की बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं अनुमोदन के उपरान्त समय-समय पर जारी किया जावेगा। स्वापोषित सीट हेतु उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर सीटें रिक्त रहेगीं अर्थात किसी अन्य श्रेणी से नही भरी जावेगी, और न ही सीटें परिवर्तित कि जावेगी।

11. उपलब्ध सीटों का विवरण

बी.एस-सी. (उद्यानिकी) आनर्स/ बी.एस-सी. (वानिकी) आनर्स पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा पाटन दुर्ग के संघटक एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर श्रेणीवार अनारक्षित एवं आरक्षित सीटों का विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा। आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा।

12. सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया

- 12.1 सीटों पर प्रवेश हेतु सीट आबंटन की प्रक्रिया की दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व अलग से जारी की जावेगी। सीट आबंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया इन्ही दिशा निर्देशों द्वारा की जावेगी।
- 12.2 आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा। “अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।”
- 12.3 जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप अथवा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमश.....7

कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन,दुर्ग (छ.ग.)

13. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि

प्रवेश के लिए प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। व्यावसायिक शिक्षा मंडलए रायपुर द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जावेगी तथा इन प्रावीण्य सूचीयों की प्रति व्यावसायिक परीक्षा मण्डलए रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जावेगी।

टिप्पणी : आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हे सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा ।

14. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी पी.ए.टी. मेरिट सूचीयों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से आवेदकों को अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जावेगा। प्रवेश के लिए आवेदक को पाठ्यक्रम से संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/ अर्हता/शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे। पी.ए.टी. की अंकसूची, 10वीं की अंकसूची, 12वीं की अंकसूची, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर वाले अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्रों के निर्धारित प्रारूप इस नियम पुस्तिका में दिये गये हैं।

15. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण

महाविद्यालयों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेगें।

16. शारीरिक योग्यता

- (अ) **आयु सीमा:** प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु प्रवेश लेने वाले वर्ष के अगस्त माह में 16 वर्ष की हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष से कम होने पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (ब) **स्वास्थ्य अर्हता:** चयनित परीक्षार्थियों को प्रवेश के पश्चात स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न्यूनतम सहायक शल्य चिकित्सक/सहायक भेषज स्तर के अधिकारी या कृषि विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी का मान्य होगा।

17. मूल निवासी की शर्तें

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने पांच वर्षों के अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रारूप-9)
अथवा
(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो।
अथवा
(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र /पुत्री हो:
(प) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रारूप-9)
अथवा
(i) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन) तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं। अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 01 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो। (प्रारूप-9)



क्रमश.....8

कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.)

स्पष्टीकरण -1, (छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे।
टिप्पणी: छत्तीसगढ़ का मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण -2, (अभिभावक)

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण -3, (दत्तक पुत्र/पुत्री)

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/ महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस-सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा की ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे। (प्रारूप-9 अथवा शासन से निर्धारित प्रारूप में)

18. यदि महाविद्यालय/संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालय किसी ऐसे अभ्यर्थी का चयन कर लेते हैं/प्रवेश दे देते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता/अर्हता नहीं रखता हैं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जावेगा/जानकारी होने पर विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी निष्कासित कर दिया जावेगा और इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं/महाविद्यालय/संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालय उत्तरदायी होंगे।

19. प्रवेश निरस्तीकरण :-

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

20. प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग द्वारा स्थापित नियमों को संदर्भ एवं संज्ञान में रखते हुए इसका क्रियान्वयन महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा पाटन दुर्ग द्वारा किया जावेगा। इसके पश्चात् भी प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्यवस्था से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है, तो उस निर्णय हेतु अंतिम स्पष्टीकरण हेतु महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा पाटन दुर्ग को भेजा जाना चाहिए।

टीप - महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, पाटन, दुर्ग विश्वविद्यालय के अधीन संचालित समस्त महाविद्यालयों में सीटों की संख्या की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की सक्षम समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त पृथक से जारी की जावेगी।

कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप
(महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....पिता/पति का नाम.....निवासी ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का नं.....वि.खं.....तहसील.....जिला.....संभाग.....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमंक.....पर अंकित है अतः श्री/सुश्री.....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्रीके परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक-

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।



कुलसचिव
महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

(महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग..... जिला..... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक..... प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....आत्मज श्री.....
निवासी ग्राम.....जिला संभाग..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जोजाति के
है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा-वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना
क्रमांकएफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमार्ग्य किया गया है।

श्रीऔर/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला.....संभाग.....
.....में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक.....को प्रवजन कर चुका है। यह भी प्रमाणित किया जाता है
कि श्रीक्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार,
कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था. (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में
तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न
परिषिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्रीके परिवार की कुल वार्षिक आय
रूपयेहै।

दिनांक.....

स्थान :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप
प्रारूप-3

कृषक प्रमाण पत्र

कार्यालय तहसीलदार अथवा विकास खण्ड अधिकारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता का नाम)..... निवासी.....जिला.....
.....ने (5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं.) दो परीक्षा विद्यालय
..... से उत्तीर्ण की है एवं यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। यह भी सत्यापित किया जाता है कि विद्यार्थी के पालक के पास कृषि भूमि है एवं वे कृषि कार्य में भी संलग्न है।

यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना तथा पालक के कृषि कार्य में संलग्न होना प्रमाणित करता है ।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
तहसीलदार/विकास खण्ड अधिकारी



कुलसचिव
महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.प्र.)

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप

प्रारूप-4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम) श्री/
सुश्री.....(अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री.....
.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की/ वैध संतान है। श्री/सुश्री.....
.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.....के
कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक.....पर
पंजीकृत है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत
डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी पदनाम एवं सील



कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

महाराष्ट्र शासन
विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र
(प.स.) २०२०-२०२१

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप

प्रारूप-5

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम) जो
प्रथम वर्ष.....में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....
.....(अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) की संतान है, जो जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित है।
वर्तमान में ये.....ग्राम.....तहसील.....जिला.....प्रदेश में वर्ष.....
से निवासरत है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अधिकारी पदनाम एवं सील



कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.)

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप

प्रारूप-6

जम्मू कश्मीर के निवासियों (कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दु)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) माता/पिता.....जो स्नातक पाठ्यक्रम (प्रवेश वर्ष).....में जम्मू एवं काश्मीर राज्य के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू है एवं वर्तमान में ये.....ग्राम.....तहसील.....जिला.....निवासरत है।

स्थान.....

दिनांक.....



(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अधिकारी पदनाम एवं सील

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
सांकरा-पाटन दुर्ग
जम्मू कश्मीर

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप

प्रारूप-7

नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) के/की संतान है, जो नक्सली हिंसा में दिवंगत हुये है। उन्हे यह प्रमाण पत्र महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने प्रदान किया जाता है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कलेक्टर अथवा पुलिस अधीक्षक



प्रमाणित
महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
सांकरा-पाटन दुर्ग

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप

प्रारूप-8

भूतपूर्व कार्मिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की संतान है, जो स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री..... (भूतपूर्व कार्मिक का नाम) थल सेना/वायु सेना/नौ सेना मेंओहदे पर सर्विस क्रमांक.....से सेवा निवृत्त है। यह प्रमाण-पत्र महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रदान किया जाता है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील, कमांडिंग
आफिसर/प्राधिकृत अधिकारी



कुलसचिव
महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विष्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप

प्रारूप-9

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्रीआत्मज/
आत्मजा/ पत्नी निवासी तहसीलव
जिला.....छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है,
क्योंकि वह-

1/- निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालको में से कोई-

अथवा

(ग) उसके पालको में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालको में से कोई-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी का सेवारत है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालको राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है। परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हो अर्थात:-
(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक या 8वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विष्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडियेट, हायर सेण्टरिरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पाँचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/- उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे -

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आर्बंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में सवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृति अधिकारी के हस्ताक्षर

(पद नाम एवं सील)

कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विष्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन दुर्ग
के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप

दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु प्रमाण-पत्र का नमूना कंमांक-(10)

 सत्यमेव जयते	भारत सरकार / श्रम और रोजगार मंत्रालय, महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण Govt. of India, Ministry of Labour & Employment (DGE&T) Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) Dana Godam, Napier Town, Jabalpur-482001 (M.P.)	
Intake/EVL. No	Phone : 2405581	Date
SUITABILITY CERTIFICATE		
It is certify that Shri/Smt./Ku.....		
S/D of Shri:.....	Resident of:.....	
is a registered disabled person of this centre with the disability of:.....		
who is evaluated in this centre on date..... On the basis of Evaluation/Assessment report		
he/she is found suitable for admission in the following training centres / occupation.		
1.	2.	
3.	4.	
Note : This certificate is not valid for any legal litigation.		
		Assistant Director Employment/H.D.O. Govt. of India, M/O Labour & Employment (DGE& Asst. Director./Employment)



कुलसचिव

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी
विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)